

कोषांग प्रभारी सामुदायिक उत्प्रेरण कोषांग, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग झारखण्ड राँची के पत्रांक 2430 (RCH) दिनांक 18.06.2019 के अनुसार सहियाओं के लिए इन्डेक्सन मॉड्यूल एवं IPH मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सहियाओं के नास्ता खाना एवं ठहराव से संबंधित कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है :-

### निविदा की तकनीकी भाग -

निविदा की तकनीकी भाग में निम्नांकित अभिलेख सम्प्रीत करना अनिवार्य होगा।

1. वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 का आयकर का अध्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. अग्रधन के रूप जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह के पक्ष में 10000.00 (दस हजार) जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
3. निविदादाताओं के द्वारा अंकित दर पर सभी करों सहित होना चाहिए साथ ही GST/TDS/ PAN CARD/ AADHAR CARD आदी का स्वप्रमाणीत छाया प्रति संलग्न आवश्यक है।
4. निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र देगा कि उनकी निविदादाता/ कम्पनी/ केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार या किसी अनुशांगीक इकाई द्वारा Black Listed नहीं है।

### अन्य शर्तें -

1. निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं/ एजेन्सीयों को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्ण रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. किसी भी समय निविदा को आवश्यकतानुसार रद्द किया जा सकता है।
3. इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर कम से कम एक वर्ष या अगले निविदा अनुमोदित तक के लिए मान्य होगा।
4. किसी प्रकार कि विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गिरिडीह होगा।
5. आप अपने निविदा दिनांक 31.07.2019 के अपराह्न 2 बजे तक निबंधिक डाक के माध्यम से **असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, DHS, गिरिडीह** के नाम से जमा करा सकते हैं।
6. निविदा दिनांक 01.08.2019 को अपराह्न 3 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। जिसमें आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि को निविदा खुलने के समय में उपस्थित रह सकते हैं।

### निविदा का मुल्य भाग -

1. निविदा दर अनिवार्यतः अंको एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए। अंको में अंकित दर में कोई दुविधा हाने पर शब्दों में ही मान्य होगा।

*Handwritten signature*  
13/4/19

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, DHS, गिरिडीह।

*Handwritten signature*  
13/7/2019



वित्तीय भाग प्रपत्र

आवासीय / भोजन / बिजली / प्रशिक्षण हॉल तथा ठहराव व्यवस्था -

क्र०सं०	आवासीय एवं भोजन, तथा बिजली की व्यवस्था की विवरण	
1	<p><b>आवासीय व्यवस्था का विवरण -</b></p> <p>शयन कक्ष - बिछावन सेट एवं कम्बल एवं अन्य आवश्यक वस्तु। प्रशिक्षण हॉल / शयन कक्ष 20' X 20' सहित</p> <p><b>भोजन की व्यवस्था का विवरण।</b></p> <p>प्रातः का नास्ता - रोटी 4 पीस या पूरी 6 पीस 150 ग्राम, सब्जी 150 ग्राम, आचार 15 ग्राम, चाय 100 ml</p> <p>दोपहर का भोजन - चावल 250gm, ( 150 ग्राम Each), अरहर दाल 100 एम.एल. सीजनल सब्जी 100 ग्राम, आलु भुजिया 100 ग्राम एवं आचार 15 ग्राम, सलाद 100 ग्राम।</p> <p>शाम का नास्ता - चाय 100 एम.एल, दो बिस्कुट</p> <p>रात का भोजन- रोटी 4 पीस या पूरी 6 पीस ( 150 ग्राम), सीजनल सब्जी 100 ग्राम, आलु भुजिया 100 ग्राम एवं आचार 15 ग्राम।</p> <p><b>बिजली व्यवस्था -</b></p> <p>प्रशिक्षण में जनसेट ऑपरेटर सहित प्रतिदिन 1 प्रशिक्षण स्थल के लिए।</p> <p>स्टेन्ड पंखा / सी.एफ.एल लाईट, दरी सेट, चार 20' X 20' हॉल के लिए।</p>	<p>250.00 रु के अंतर्गत प्रति दिन प्रति व्यक्ति (सभी कर सहित) सभी व्यवस्था सहित सरकार द्वारा अधिकतम दर निर्धारित दिया गया है।</p> <p>प्रतिदिन 24 घंटा के लिए (सभी कर सहित)</p>

*M. M. M. M.*  
13/7/19

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-

M. M. M. M. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, DHS, गिरिडीह।  
DTC 13/7/2019